

संख्या : 01/भू0अ0नि0(3) नियोजन (सेवा मुक्ति)-14/2021...17.5. पटना, दिनांक : 22-06-2021

आदेश

श्री मनोज कुमार झा, उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दिनांक-15.01.2021 को विशेष सर्वेक्षण शिविर, तेलपा, अंचल-करपी, जिला-अरवल का औचक निरीक्षण किये जाने के पश्चात् प्रतिवेदित किया गया कि दिन के 3.30 बजे शिविर के 16 कर्मी औचक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये गए हैं। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय के ज्ञापांक-1595 दिनांक- 09.06.2021 द्वारा इन 16 कर्मियों से सेवा से हटाये जाने का स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जिसमें से श्री पंकज कुमार विशेष सर्वेक्षण अमीन (ID No. AEN04286) द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।

समर्पित स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया। इनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेखित किया है कि "मैं अपने आवंटित राजस्व ग्राम में सर्वे के कार्य यथा प्रपत्र-2 एवं प्रपत्र-3 (1) के संग्रहण एवं ग्राम की सरकारी भूमि का निरीक्षण के कार्य में लगा हुआ था। चूंकि मैं अपने शिविर बुधवार और शनिवार की बैठक में हर सप्ताह शामिल होता हूं जो मुख्यालय से निर्देशित है, तथा शिविर और मुख्यालय से मिले कार्यों को शेष बचे दिवस में निर्वहण करता हूं और जब उप सचिव का औचक निरीक्षण किया गया, तब मैं अपने कार्य का निर्वहन कर रहा था।"

श्री कुमार के द्वारा उक्त स्पष्टीकरण के साथ कार्य करने संबंधी शिविरों में संधारित करने योग्य अभिलेखों को संलग्न कर नहीं समर्पित किया गया है।

सर्वे प्रक्रम में यह प्रावधानित है कि शिविरों में कर्मियों के क्षेत्र में कार्य करने के लिए Movement Register (संचालन पंजी) और अमीन डायरी का संधारण करेंगे। श्री कुमार के द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित पृष्ठों को संलग्न कर नहीं दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि श्री कुमार के द्वारा संबंधित मौजे का भ्रमण किया गया था और कागजात संकलित किया गया था। उल्लेखनीय है कि संचालन पंजी और अमीन डायरी संधारित करना विशेष सर्वेक्षण शिविर के कर्मियों के लिए आवश्यक है।

सर्वे प्रक्रम में यह आदेशित है कि विशेष सर्वेक्षण अमीनों द्वारा क्षेत्र में कार्य करने के पश्चात् एम0आई0एस0 में भी प्रपत्र-2 एवं 3(1) के संकलन का डाटा इंद्राज किया जाना है और दिनांक-21.06.2021 के एम0आई0एस0 के इंद्राज के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री पंकज कुमार को आवंटित मौजा कसौती (179) के खेसरो की संख्या 1387 के विरुद्ध मात्र 75 एवं पिराहो (182) के कुल खेसरो की संख्या 1385 के विरुद्ध मात्र 88 प्रपत्र-2 एवं 3(1) उपलब्ध किया गया है, जो पूरे कार्य का क्रमशः 5 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत मात्र ही है। इससे यह भी स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा करीब छः माह पूर्व दिनांक-15.01.2021 तक इससे भी कम प्रपत्र-2 एवं 3(1) उपलब्ध कराये गए होंगे।

इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि श्री कुमार (ID No. AEN04286), विशेष सर्वेक्षण अमीन के द्वारा कर्तव्य में लापरवाही के साथ-साथ सर्वे हेतु निर्धारित निदेशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। जो इनके स्वेच्छाचारिता, मनमानापन एवं सरकारी दिशानिर्देशों के अवहेलना का द्योतक है। श्री कुमार को अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसके लिए योजना की अवधि निर्धारित है। इस तरह के संविदा कर्मी को सेवा में बनाये रखने से अन्य कर्मियों पर भी दुष्प्रभाव न पड़े इसे दृष्टिगत रखते हुए इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली-2019" के नियम 8(4) के तहत श्री पंकज कुमार (ID No. AEN04286), विशेष सर्वेक्षण अमीन का संविदा नियोजन आदेश निर्गत की तिथि से समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक: - 01/भू0अ0नि0(3) नियोजन (सेवा मुक्ति)-14/2021.1754 पटना, दिनांक :- 22-06-2021
प्रतिलिपि:- श्री पंकज कुमार (ID No. AEN04286), विशेष सर्वेक्षण अमीन, अंचल-करपी,
शिविर संख्या-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: - 01/भू0अ0नि0(3) नियोजन (सेवा मुक्ति)-14/2021.1754 पटना, दिनांक :- 22-06-2021
प्रतिलिपि:- बंदोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: - 01/भू0अ0नि0(3) नियोजन (सेवा मुक्ति)-14/2021.1754 पटना, दिनांक :- 22-06-2021
प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त
सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: - 01/भू0अ0नि0(3) नियोजन (सेवा मुक्ति)-14/2021.1754 पटना, दिनांक :- 22-06-2021
प्रतिलिपि:- सुश्री सुरभि सिंह, डाटा एनालिस्ट, भू-अभिलेख एवं परिमाण को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण